

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/24/1781

दिनांक: 14/06/2024

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा एस.बी.सिविल.रिट पिटिशन संख्या 7596/2022 पीर मोहम्मद बनाम स्टेट व अन्य में दिनांक 11.11.2022 को आदेश पारित कर पूर्व में उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा श्री पीर मोहम्मद के निलम्बन आदेश पर जारी स्थगन आदेश दिनांक 14.07.2022 को निरस्त करने के उपरांत भी श्री पीर मोहम्मद अवैध रूप से पद पर बने रहे, साथ ही पानी भराव क्षेत्र में मिट्टी का भराव, अवैध रूप से रोड़ लाईट लगाने आदि बिन्दुओं की विभागीय जांच विचाराधीन है।

अतः उक्त विभागीय जांच के विचाराधीन रहने के मध्यनजर विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 1393-1404 दिनांक 31/5/2024 को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुरेश कुमार ओला)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 14/06/2024

क्रमांक: प.8 (ड)(का.आ.)/डीएलबी/24/1782-93

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर/जिला कलक्टर जयपुर।
5. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
6. सहायक निदेशक सतर्कता निदेशालय।
7. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
8. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
10. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नरायना।
11. प्रोग्रामर (आई.टी. सैल), निदेशालय।
12. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी